कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा./लेख. डी–4/28199(परिपत्र)/19–20/368 दिनांक 24/12/19

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग ....
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा ....

विषय– चोरी, गबन, हानि के बकाया प्रकरणो के निस्तारण बाबत् शिविर के आयोजन के संबंध मे

प्रसंग– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी.–04/19/2019–20 दिनांक 20.12.19

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है कि आपके व आपके अधीनस्थ कार्यालयों विद्यालयों में चोरी, गबन, हानि के अधिकांश प्रकरण काफी समय से बकाया चल रहे है, जिसकी अनुपालना समय पर प्राप्त न होने के कारण इनका निस्तारण नही हो पा रहा है, जो अत्यंत खेद का विषय है, इसे उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस क्रम मे आपको सूचित किया जाता है कि बकाया प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु उक्त प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.12.19 में **वर्णित मण्डल अनुसार 16.01.2020 से दिनांक 28.01.2020 तक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर मे कैम्प का आयोजन किया जाना है।** अतः आपके कार्यालय एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर लम्बित प्रकरणों मे निम्नानुसार पेरा ड्रॉप व प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न कार्यवाही पूर्ण करवाकर **<u>अपने कार्यालय मे पदस्थापित लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक</u> के साथ उक्त निर्धारित कैम्प दिनांक को उपस्थित होने के लिए पाबंद करवावे :–**

1. प्रकरण मे सक्षम अधिकारी द्वारा करवाई गई प्राथमिक जांच प्रति, जांच अनुसार दोषी कार्मिक व पर्यवेक्षकीय त्रुटि के लिए जिम्मेवार के विरूद्ध की गई विभागीय जांच कार्यवाही प्रति, दण्डादेश की प्रति वसूली/समायोजन आदि के प्रमाणित साक्ष्य सहित पालना दो प्रतियों मे मय शाला प्रधान एवं आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित तैयार कर अनुपालना प्रस्तुत करे। यदि लम्बित प्रकरणो मे आज दिनांक तक सक्षम अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच ही पूर्ण नही करवाई हुई है तो केम्प से पूर्व जांच पूर्ण करवाकर उस अनुसार कार्यवाही पूर्ण करे।
2. प्रकरण मे पुलिस मे दर्ज करवाई गई एफआईआर प्रति, **न्यायालय द्वारा स्वीकृत एफआर की प्रति** तथा जो भी प्रकरण न्यायालय मे लम्बित चल रहे उन प्रकरणो की आवश्यक रूप से अद्यतन स्थिति प्राप्त कर पालना दो प्रतियों मे प्राप्त कर प्रस्तुत करे।
3. चोरी के प्रकरण मे चोरी हुई सामग्री का पुस्तकीय मूल्य, कम्प्यूटर चोरी प्रकरण मे कम्प्यूटर के पुनर्स्थापन की स्थिति, उसका पुस्तकीय मूल्य, पुनःस्थापन की स्थिति व संबंधित फर्म से अनुबंध की प्रतियां, संविदा अवधि मे कम्प्यूटर सेवा के बाधित होने पर फर्म से पेनल्टी राशि वसूली की स्थिति आदि कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्तुत करे
4. यदि चोरी/हानि/गबन के जो भी प्रकरण आज दिनांक तक इस कार्यालय को नही भिजवाये गये है उनके भी उक्त समस्त अपेक्षित कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण करवाकर प्रस्तुत करे।
5. चोरी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण।

विदित रहे कि **चोरी/गबन/हानि से संबंधित प्रकरणों को राज्य सरकार व निदेशक** महोदय द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। अतः शिविर मे अनुपस्थित रहने की स्थिति मे विपरीत परिस्थितियों के लिए संबंधित लेखाकर्मी/संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

"इसे सर्वोच्च प्राथमिकता व गंभीरता से लेवे।"

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक– शिविरा/मा./लेखा डी–4/28199(परिपत्र)/19–20/368 दिनांक 24/12/19

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सहायक, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
2. निजी सहायक वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
3. अनुभाग अधिकारी, एजी अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थानबीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी—04 / 19 / 2019—20 दिनांक 20-12-19

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा संभाग......................

2. जिला शिक्षा अधिकारी(मु.)
   माध्यमिक शिक्षा, ...

विषयः— महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं निरीक्षण विभाग जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण बाबत शिविर के आयोजन के सम्बंध में।

संदर्भः— शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप—5) विभाग, जयपुर का पत्र क्रमांक प 6(9)शिक्षा—5 / 2010 पार्ट—II दिनांक 23.09.19 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 10.10.19 एवं 19.12.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके व आपके अधीनस्थ कार्यालयों / विद्यालयों के महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेप काफी समय से बकाया चल रहे है, जिसकी अनुपालना समय पर प्राप्त न होने के कारण इनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है जो अत्यंत खेद का विषय है. इसे उच्चाधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया गया है। इस क्रम में आपको सूचित किया जाता है कि गत वर्षों के बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु दिनांक 16.01.2020 से दिनांक 28.01.2020 तक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में कैम्प का आयोजन किया जाना निम्नानुसार प्रस्तावित है:—

क्र.सं.	मण्डल का नाम	जिले का नाम	दिनांक
1	अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक	16.01.2020
2	भरतपुर	भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर	17.01.2020
3	बीकानेर	बीकानेर, हनुमानगढ, गंगानगर	20.01.2020
4	चूरू	चूरू, सीकर, झुंझुनू	21.01.2020
5	जयपुर	जयपुर, दौसा, अलवर	22.01.2020
6	जोधपुर	जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर	23.01.2020
7	कोटा	कोटा, बांरा, बूंदी, झालावाड	24.01.2020
8	पाली	पाली, सिरोही, जालौर	27.01.2020
9	उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, राजसमन्द	28.01.2020

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्ष / विद्यालय के महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग, जयपुर के बकाया प्रतिवेदनों के आक्षेप एवं महालेखाकार प्रतिवेदनों के विभाग स्तर पर बकाया आक्षेपों की ठोस, पूर्ण एवं साक्ष्य सहित अनुपालनाएं तैयार करवाकर **अपने कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मी / संबंधित कार्मिक के साथ ही उक्त निर्धारित कैम्प दिनांक को उपस्थित होने के लिए पाबंद करवायें शिविर में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विपरीत परिस्थितियों के लिए सम्बंधित लेखाकर्मी / संबंधित कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी—04 / 19 / 2019—20 दिनांक 20-12-19

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सहायक, निजी अनुभाग निदेशक महोदय कार्यालय हाजा
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D/A.G.-4